उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-7/2021/1041/94-स्टा0नि0-2-2021-700(13)/2021

लखनऊ: दिनांक 24 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से "उत्तर प्रदेश पोस्ट कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश संप्रवर्तन नीति-2020" के पैरा 5.1 में यथा उपबंधित, निम्न अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथादर्शित लिखतों के सम्बन्ध में, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में दर्शित सीमा तक छूट प्रदान करती हैं-

अनुसूची

स्कीम का पैरा	प्रयोजन और अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति और अनुसूची 1-ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश पोस्ट कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश संप्रवर्तन नीति-2020 का पैरा 5.1	भूमि का क्रय/पट्टा।	(एक) बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल क्षेत्र में 100 प्रतिशत (दो) मध्यांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत	अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:-

(क) उक्त इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;

(ख) जिला का जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त उद्योग, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण/पट्टा विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

(ग) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के निबंधन के समय, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा। ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

परन्तु यह कि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा नीति के अधीन शर्तों का समुचित रूप से अनुपालन कर दिया गया है, उपरोक्त बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2021/1041/94-स्टा0नि0-2-2021-700(13)/2021 दिनांकः 24 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या-7/2021/1041/94-स्टा0नि0-2-2021-700(13)/2021 दिनांकः 24 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।**
2. **मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
3. **प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।**
4. **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।**
5. **अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।**
6. **आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
7. **समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
8. **सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।**
9. **समस्त जिलाधिकारी/समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उत्तर प्रदेश।**
10. **समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
11. **समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
12. **विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।**
13. **भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।**
14. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 7/2021/1041/94-S.R.-2-2021-700(13)/2021 dated 24 September, 2021

Notification

Order

No. 7/2021/1041/94-S.R.-2-2021-700(13)/2021
Lucknow: Dated 24 September, 2021

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the purpose as mentioned in Column-2 of the said Schedule as provided in paragraph 5.1 of "the Uttar Pradesh Post- COVID-19 Accelerated Investment Promotion Policy for Economically Backward Regions of the State – 2020"-

Schedule

Paragraph of the Scheme	Purpose and other detail	Extent of Remission	Nature of Instrument and Article number of Schedule 1-B
1	2	3	4
Paragraph -5.1 of "the Uttar Pradesh Post-COVID-19 Accelerated Investment Promotion Policy for Economically Backward Regions of the State – 2020"	On the purchase/ lease of land	(i) In the region of Bundelkhand and Purvanchal 100% (ii) In the region of Madhyanchal 75%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. This remittance shall be subject to the following conditions:-

(a) The Unit shall not be provided with other remittance or facility under any other policy of the State Government.

(b) District Magistrate or Deputy Commissioner Industries of the District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance/ lease deed is being executed for the purposes above-mentioned, and

(c) Irrevocable Bank guarantee of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed / lease deed. In this regard, it shall be the liability of Industrial Development Department that it shall inform, the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the unit receiving such remission, to the Stamp and Registration Department, immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department shall deposit the amount in the proper account head of the department, by encasing the bank guarantee:

Provided that, upon confirmation of the fact by the Industrial Development Department that the conditions under the policy have been properly complied with by the concerned unit, the Bank Guarantee shall be released by the Stamp and Registration Department.

By order

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**